अति महत्वपूर्ण

संख्या–1447 /60–3–2015–34(सा)/15

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला संचालन समिति,
राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः: दिनांकः: 05अगस्त, 2015

विषयः– उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का वर्कशाप/कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 दिनांक 06 फरवरी 2015 को अधिसूचित की गयी है तथा अधिसूचना संख्या–1242/60–3–2015 दिनांक 18.06.2015 के द्वारा उक्त नियमावली में द्वितीय संशोधन किया गया है। सन्दर्भगत अधिसूचना पत्र संख्या–1246 /60–3–2015 दिनांक 18.06.2015 के माध्यम से समस्त संबंधित अधिकारियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भी प्रेषित की गयी है। कोष नियमावली के इस द्वितीय संशोधन के द्वारा कोष से संबंधित आई0ई0सी0 कियाकलापों के लिये कोष धनराशि का 01 प्रतिशत आरक्षित रखे जाने का प्राविधान किया गया है।

कोष से संबंधित आई0ई0सी0 कियाकलापों के अन्तर्गत कोष नियमावली के प्राविधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना आवश्यक है जिससे कि कोष नियमावली के प्राविधानों से जनसामान्य भिज्ञ हो सके और उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सके।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष नियमावली के प्राविधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्यालय स्तर पर वर्कशाप/कान्फ्रेंस आयोजित करके कोष नियमावली के प्राविधानों का सम्यक प्रचार–प्रसार कराया जाये। उपरोक्तानुसार आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं को समावेशित किया जायेः–

(1) उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली के संलग्नक–1 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये उसके प्राविधानानुसार पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं

को आर्थिक क्षतिपूर्ति व चिकित्सीय/शिक्षण हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के प्राविधान एवं उसकी प्रकियात्मक जानकारी प्रदान की जाय।

(2) कोष से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाईट www.mahilakalyan.up.nic.in/msk से प्राप्त की जा सकती है। यह एक पब्लिक पोर्टल है। अतः जनसामान्य को पोर्टल की जानकारी दिये जाने हेतु पोर्टल के संबंध में डी0पी0ओ0 (जिला परिवीक्षाधिकारी) और डी0आई0ओ0 (जिला सूचना विज्ञान अधिकरी) के द्वारा प्रश्नगत कोष के संचालन की प्रकिया में जनसामान्य की जानकारी हेतु देखे जा सकने वाली सभी प्रकियाओं की कमागत रूप से जानकारी दी जाय।

(3) नियमावली के प्राविधानानुसार पात्र महिला को चिकित्सकीय तथा शैक्षिक अनुदान दिये जाने की भी व्यवस्था है। अतः कोष नियमावली के संलग्नक–1 और संलग्नक–2 में उल्लिखित प्राविधानों के तहत प्राप्त हो सकने वाली सभी राहतों की जानकारी सहित नियमावली के अन्य विभिन्न प्राविधानों तथा उसमें निर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारियों की भूमिकाओं के संबंध में बृहद स्तर पर जानकारी प्रदान की जाय तथा प्रचार–प्रसार कराया जाय।

(4) महिला सशक्तिकरण में जनसामान्य की सकिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इस हेतु जनसामान्य अथवा सरकारी/गैर–सरकारी संस्थान द्वारा कोष में सामान्य रूप में या अपनी पसन्द की किसी विनिर्दिष्ट परियोजना के लिये किसी स्थान/जिले, जहॉ वे इसका कियान्वयन चाहते हों, को इंगित करते हुये योगदान किया जा सकता है। इस प्रकार किया गया योगदान आयकर से मुक्त होगा। जनसामान्य/संस्थान द्वारा किये गये योगदान का प्रयोग उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 के संलग्नक–3 के अनुरूप हो सकता है। इनका विस्तृत प्रचार–प्रसार कराया जाय।

(5) वर्कशाप/कान्फ्रेंस के लिये यथा संभव जिलाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष, विकास भवन के सभाकक्ष, किसी स्कूल/कॉलेज में उपलब्ध सभाकक्ष अथवा तहसील या विकास खण्ड कार्यालय में उपलब्ध सभाकक्ष का उपयोग किया जाय।

(6) प्रसार सामग्री के रूप में सभी जिलों में पोस्टर/पम्फलेट वितरण एवं डिस्प्ले हेतु जिला परिवीक्षाधिकारियों को भेजा जा रहा है। पोस्टर का डिस्प्ले जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, पुलिस अधीक्षक परिसर, जिला अस्पताल परिसर, विकास भवन, विभिन्न तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड परिसर में किया जायेगा।

3. उपर्युक्तानुसार प्रत्येक जनपद में आयोजित की जाने वाली कान्फ्रेंस हेतु रू0–25,000/–की धनराशि निर्धारित की जाती है। इस प्रचार–प्रसार पर होने वाले व्यय का वहन कोष नियमावली के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से किया जायेगा। इस

इस हेतु आवश्यक धनराशि निदेशक, महिला कल्याण के माध्यम से जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1447(1)/60–3–15–तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग/चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य /महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, महिला कल्याण विभाग/विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, उ0प्र0।
10. डा0 सौरभ गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 (नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर) लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि सभी जिला सूचना विज्ञान आधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
11. कोष कार्यालय, चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उपसचिव।

c- 2 dutt go